Topic 1 :– कॉर्पोरल पनिशमेंट (शारीरिक दंड)

चर्चा में क्यों :– हाल ही में तमिलनाडु राज्य के शिक्षा विभाग ने कॉर्पोरल पनिशमेंट (शारीरिक दंड) के उन्मूलन (GECP) करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं

कॉर्पोरल पनिशमेंट (शारीरिक दंड) के उन्मूलन (GECP) का उद्देश्य :–

1. स्कूली बच्चों के शारीरिक और मानसिक सेहत की रक्षा करना

2. स्कूलों में अनुशासन के नाम पर बच्चों के उत्पीड़न को रोकना

3. शिक्षकों के द्वारा बच्चों पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के दबाव या मनमानी से बच्चों को सुरक्षित रखना

कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है :–

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC) के अनुसार कॉर्पोरल पनिशमेंट ऐसे प्रकार का दंड है, जिसके अंतर्गत स्कूली बच्चों पर शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है।

स्कूल द्वारा इस बल को प्रयोग करने के कई उद्देश्य हो सकते हैं :–

1. स्कूल में अनुशासन स्थापित करना

2. होमवर्क नहीं करने के लिए बच्चों को सजा देना जिससे उन्हें दर्द या पीड़ा का अनुभव हो ।

इस सजा के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया है डंडे से मारना, लात मारना, बाल खींचना आदि।

कॉर्पोरल पनिशमेंट (शारीरिक दंड) की परिभाषा के अनुसार :– शारीरिक दंड , वह दंड होता है जिसमे शारीरिक प्रकृति की कोई गतिविधि जुड़ी हो ।

भारतीय कानून में स्कूली बच्चों के लिए कॉर्पोरल पनिशमेंट 'शारीरिक दंड' की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं दी गई है

शारीरिक दंड के अंतर्गत किसी बच्चे को दर्द, चोट और असुविधा को सामिल किया गया है चाहे वह कितना भी हल्का या मामूली क्यों ही न हो।

शारीरिक दंड में शामिल :– मारना, लात से मारना, काटना, बाल खींचना, कान खींचना,खरोंचना, शरीर पर चुटकी काटना, थप्पड़ मारना, किसी भी उपकरण (बेंत, छड़ी, जूता, चाक, डस्टर, बेल्ट, चाबुक) से मारना, बिजली का झटका देना आदि।

भारतीय शासन के अंतर्गत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) के अंतर्गत 'शारीरिक दंड' तथा 'मानसिक उत्पीड़न' पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। इसी अधीनियम की धारा 17(2) के तहत 'शारीरिक दंड' तथा 'मानसिक उत्पीड़न' को दंडनीय अपराध बनाया गया है।

कॉर्पोरल पनिशमेंट और नैतिक मुद्दे

1.कॉरपोरल पनिशमेंट से बच्चों में शारीरिक और मानसिक हानी देखने को मिलती है

2.बच्चों को इस प्रकार की सजा देने से उनके आत्मविश्वास की कमी होती है

3.इस प्रकार की सजा से बच्चे अपने सहपाठियों के बीच अपमानित महसूस करते हैं तथा आत्मसम्मान में कमी महसूस करते है

4. कई बार देखा गया है कि ऐसी सज़ा में बच्चों को शारीरिक जख्म, मानसिक व स्वास्थ्य समस्याएं और घबराहट जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं

5.कई बार ऐसी सजाएं वर्ग विशेष या समुदाय विशेष के प्रति भी होती है जैसे जेंडर, जाति या सामाजिक- आर्थिक स्थिति जैसे पूर्वाग्रह देखे जाते हैं।

6. कई बार सामान्य तथा छोटी छोटी गलती के लिए भी बदले की भावना से अधिक सजा दी जाती है।

Result Mitra

कॉर्पोरल पनिशमेंट के नकारात्मक प्रभाव:–

1. अक्सर ऐसा देखा गया है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों में अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं होता है
2. कॉर्पोरल पनिशमेंट से बच्चों के अंतर्गत नकारात्मक छवि का विकास होता है
3. कॉर्पोरल पनिशमेंट से बच्चों में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन या नैतिक विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है।
4. कॉर्पोरल पनिशमेंट से बच्चों में एक भेड़ बना रहता है और बच्चे हमेशा इससे बचने के उपाय ढूंढते रहते हैं
5. इस प्रकार के दंड के भाई से अधिकतर बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।

कॉर्पोरल पनिशमेंट के विनियमन हेतु किए गए उपाय :–

1.भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को अल्पायु युवाओं और और बच्चों की शोषण से रक्षा करने का उपाय प्रदान करता है

2.साथ ही अनुच्छेद 39 नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा करने का निर्देश भी देता है।

3.बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 17 बच्चों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को दंडनीय अपराध बनाती है तथा इसको रोकने के प्रावधान करती है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने स्कूलों में शारीरिक दंड को खत्म करने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए है जिसके अनुसार :–

प्रत्येक स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट निगरानी कक्ष स्थापित किए जाने का प्रावधान किया जाए ।

प्रत्येक स्कूल को छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक तंत्र विकसित हो

छात्रों के प्रति होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा पर नजर रखने के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तैयार किया जाए ।

पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत डाल सके इसके लिए ड्रॉप बॉक्स रखे जाने चाहिए

इसी के साथ शिकायत किए जाने वाले छात्र की गोपनीयता की रक्षा के लिए गुमनामी बनाए रखी जाए।

Topic 2 :– भारत और फ्रांस संबंध

Result Mitra

चर्चा में क्यों :– हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की

यात्रा के उद्देश्य :– इस आधिकारिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस के मध्य रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे का अधिक से अधिक सहयोग करना है

वर्तमान में भारत और फ्रांस दोनों देश एक दूसरे के काफी नजदीक है और सभी क्षेत्रों में एक दूसरे का भरपूर योगदान कर रहे हैं

भारत-फ्रांस संबंध :– भारत फ्रांस के संबंध काफी पुराने हैं

फ्रांस भारत की विकास के क्षेत्र में काफी मदद कर रहा है जिसके तहत भारत में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत चंडीगढ़ जैसे नगरों को विकसित करने के लिए फ्रांस मदद कर रहा है

भारत फ्रांस से लंबे समय तक हथियारों का आयात करता रहा है वर्तमान में भी दोनों देश कई ऐसे संयुक्त हथियार निर्माण के प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं

इसी के साथ भारत फ्रांस का आर्थिक सहयोगी देश भी है जिसके तहत दोनों देशों के मध्य दिन प्रतिदिन काफी वृद्धि देखने को मिल रही है

फ्रांस हिंद महासागर के आर्थिक महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने में भारत की मदद कर रहा है

भारत के रक्षा आधुनिकरण के क्षेत्र में फ्रांस अपनी प्रौद्योगिकी का भरपूर लाभ भारत के प्रदान कर रहा है जिसके तहत दोनों देश संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहे हैं फ्रांस अपनी तकनीक को भारत ट्रांसफर कर रहा है साथ ही अत्यधिक

प्रणालियों का दोनों देश मिलकर विकास कर रहे हैं जैसे की स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, राफेल विमान।

दोनों देश अपनी सेनन को मजबूत करने के लिए समय-समय पर युद्ध अभ्यास भी करते हैं जैसे की वरुण (नौसेना), गरुड़ (वायु सेना) और शक्ति (थल सेना) ।
दोनों देश न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक दूसरे की मदद कर रहे है

भारत और फ्रांस ने जून 2023 में रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद आरंभ किया जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है ।

फ्रांस और भारत की एक समस्या आतंकवाद हैं इसीलिए दोनों देश एक साथ मिलकर आतंकवाद जैसी अमानवीय गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण करते हैं इसी के तहत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और फ्रांस के GIGN (ग्रुप डी 'इंटरवेंशन डे ला जेंडरमेरी नेशनेल) के बीच एजेंसी स्तर पर सहयोग किया जा रहा है।

फ्रांस भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थाई सीट के लिए समय-समय पर अपना समर्थन देता रहा है।

जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए भारत और फ्रांस ने संयुक्त प्रयास करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का गठन किया जिसका उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS):

सीडीएस के पद की स्थापना के लिए सबसे पहले सिफारिश वर्ष 2001 में मंत्रियों के एक समूह (GoM) द्वारा की गई ।

मंत्रियों के इस समूह को कारगिल समीक्षा समिति (1999) की रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था।

मंत्रियों के इस समूह की सिफारिश के आधार पर ही CDS के पद का गठन किया गया ।

लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकातकर की अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर 2019 में CDS का पद बनाया गया ।

देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे इन्हे 31 दिसंबर, 2019 को नियुक्त किया गया था।

वर्तमान में देश के CDS अनिल चौहान है

Result Mitra

Topic 3 :– स्टार प्रचारक

चर्चा में क्यों :– भारत में 2024 में होने वाले आम चावन में अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा अपने-अपने स्टार प्रचारकों की घोषणा की है जिस कारण यह शब्दावली चर्चा में है

स्टार प्रचारक कौन होते है:–

स्टार प्रचारक वह लोकप्रिय चेहरा होता है जो किसी पार्टी के लिए होने वाले चुनाव में जनता से वोटों की अपील करता है।

इन्हें पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है स्टार प्रचारक के तौर पर किसी खेल से संबंधित व्यक्ति सिनेमा से संबंधित व्यक्ति या अन्य लोकप्रिय व्यक्ति को नामित किया जा सकता है इसमें राजनीतिक व्यक्तियों को भी नामित किया जाता है

स्टार प्रचारक के लिए कानून उपलब्ध :– स्टार प्रचारक बनाने या न बनाए जाने के संबंध में कोई कानून उपलब्ध मौजूद नहीं है।

एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में अधिक से अधिक 40 स्टार प्रचारकों को नामित करने का अधिकार है।

जबकि एक गैर-मान्यता प्राप्त (लेकिन पंजीकृत) राजनीतिक दल में अधिक से अधिक 20 स्टार प्रचारक हो सकते है।

स्टार प्रचारकों के ऊपर जो भी व्यय आता है उसे उस उम्मीदवार के खाते में जोड़ दिया जाता है जिसके लिए स्टार प्रचारक प्रचार कर रहा होता है।

Result Mitra

Topic 4 :– रैम्पेज मिसाइल (Rampage Missiles)

चर्चा में क्यों - हाल ही में भारतीय वायु सेवा और नौसेना ने रैम्पेज मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल किया।

इस मिसाइल का निर्माण इजरायल के द्वारा किया गया है

इस मिसाइल को बनाने में मुख्य रूप से इजरायल की दो कंपनियां शामिल है इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजराइली मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम्स ।

रैम्पेज मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है।

मिसाइल का प्रकार:– हवा से सतह पर
इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर तक है।

विशेषता :– मिसाइल को एंटी-जैमिंग क्षमता के साथ GPS/ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS) नेविगेशन प्रणाली से लैस किया गया है।

इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS) यह इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली होती है जिसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट की गति में परिवर्तन का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है।

भारतीय वायु सेना इन मिसाइल को अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान जैसे की Su-30 MKI, MiG-29(नेवी व एयरफोर्स) , जगुआर में प्रयोग करेगी।

Result M